बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
9वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
के.जी. मार्ग, नई दिल्ली

बाबू जगजीवन राम पीठ योजना

बाबू जगजीवन राम हमारे समाज में अलाभान्वित लोगों के लिए अवसर की समानता और सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष के प्रतीक थे। उन्होंने कठोर संघर्ष किया था और उन्होंने अपनी समस्त सफलता और उपलब्धियों को उन हजारों अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों जो जीविका चलाने के लिए भी प्राप्त नहीं करते हैं, के उत्थान के लिए समर्पित किया था। तीन दशकों से अधिक समय से केन्द्रीय मंत्री तथा भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करते हुए, उन्होंने भारतीय राजव्यवस्था में अपनी विलक्षण कार्य संस्कृति की अमिट छाप छोड़ी थी। आप एक महान देश भक्त, विद्वान, राजनीतिमर्मज्ञ, बहु-आयामी प्रतिभा, ओजस्वी वक्ता, प्रतिष्ठित संसदविद्, सच्चे लोकतंत्रवादी और महान प्रशासक थे। राष्ट्र भक्ति की एक घनिष्ट भावना से ओतप्रोत, आपने एक समतावादी समाज व्यवस्था निर्माण के प्रति अत्यधिक योगदान किया था। अतः, आपकी स्मृति में विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में एक बाबू जगजीवन राम पीठ की स्थापना करना, भारत के इस महान सपूत को उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी।

योजना के उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्वानों, शिक्षाविदों और विद्यार्थियों के लिए अध्ययन और अनुसंधान करने हेतु, बाबू जगजीवन राम के विचारों तथा विचारधारा को समझना, मूल्यांकन करना और प्रसार करना, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, सैन्य विज्ञान, पत्रकारिता और जनसंचार, विधि, लेखा तथा लेखापरीक्षा, बैंकिंग, प्रबंधन और प्रशासन, उद्योग, कला, संगीत, फिल्म जैसे विषयों पर तथा एकता, सत्यनिष्ठा और सांप्रदायिक समरसता के राष्ट्रीय लक्ष्य तथा एक जातिविहीन समाज सृजित करने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त अन्य विधाओं में शिक्षण के सुसज्जित केन्द्र प्रदान करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, पीठ समाज के उपेक्षित समूहों तथा अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन से संबंधित अनुसंधान और उच्चतर अध्ययन करेगी। पीठ बाबू जगजीवन राम के विचारों को व्यवहार्य रूप में रूपान्तरित करने के लिए उपयुक्त क्रिया-विधियां विकसित करने का प्रयास करेगी। संबंधित विधा में अनुसंधान और शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्रों को बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान और संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन में विनिर्दिष्ट होंगे।

पीठ के प्रकार्य

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, पीठ न केवल बाबू जगजीवन राम के कार्य और दर्शन संबंधी विषयों में बल्कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन से संबंधित मुद्दों पर भी शिक्षण और अनुसंधान के केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, पीठ बाबू जगजीवन राम के विचारों और जीवन दर्शन को समझने तथा प्रसारित करने के लिए अनुसंधान करेगा। ये उद्देश्य न केवल अनुसंधान और शिक्षण संचालित करने से बल्कि संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और अन्य समान शैक्षिक कार्यक्रम संचालित करके भी प्राप्त किए जाएंगे।

पीठ के अधिकारी/कर्मचारी

उल्लिखित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए तथा इसके लिए निर्दिष्ट प्रकार्यों को सुव्यवस्थित बनाने हेतु, पीठ किसी विश्वविद्यालय/संस्था में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी पदस्थापित करेगी :-

क्रम सं.	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान
1.	बाबू जगजीवन राम पीठ प्रोफेसर	एक	37400-67000+ग्रेड पे 10000 रुपए
2.	अनुसंधान अधिकारी	एक	15600-39100+ग्रेड पे 5400 रुपए
3.	आशुलिपिक (ग्रेड 'ग')	एक	9300-34800+ग्रेड पे 4200 रुपए
4.	चपरासी	एक	5200-20200+ग्रेड पे 1800 रुपए

ऊपर संदर्भित प्रत्येक पद के विरुद्ध अधिकारी/कर्मचारी बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान तथा संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था के बीच संपन्न समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा अनुपालित विधियों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार भर्ती किए जाएंगे। प्रोफेसर, अनुसंधान अधिकारी, आशुलिपिक तथा चपरासी का पद स्थायी होगा। इन पदों के विरुद्ध नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट अवधि के लिए संविदा आधार पर होंगे।

सेवा संबंधी मामलों के संबंध में, पीठ के अधीन कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा अनुपालित नियमों तथा विनियमों और विधियों द्वारा प्रशासित होंगे।

<u>अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति</u>

बाबू जगजीवन राम पीठ प्रोफेसर और अनुसंधान अधिकारी के पद के लिए नियुक्ति संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान में नियमित प्रोफेसर तथा व्याख्याताओं के संबंध में यथा अनुपालित समान क्रिया-विधि का अनुसरण करके की जाएगी। चयन समिति में बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का एक प्रतिनिधि शामिल होगा। बाबू जगजीवन राम पीठ के प्रोफेसर तथा अनुसंधान अधिकारी के पद के विरुद्ध नियुक्त व्यक्ति उन सभी विशेष अधिकारों के लिए पात्र होंगे जो अन्य प्रोफेसर जैसे सीनेट, सिंडीकेट तथा अथवा विश्वविद्यालय/संस्था के विभिन्न निकायों के सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं।

i) ***बाबू जगजीवन राम पीठ प्रोफेसर :*** यह आवश्यक होगा कि संगत विधा/विषय में पर्याप्त अर्हताएं रखने वाले प्रमाणित विश्वसनीयता के साथ किसी व्यक्ति को बाबू जगजीवन राम प्रोफेसर नियुक्त किया जाएगा। वह उस समान क्रिया-विधि का अनुपालन करके नियुक्त किया जाएगा जो संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था में पूर्णकालिक प्रोफेसर के चयन के लिए लागू है। शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव, आयु सीमा इत्यादि इस संबंध में अनुपालित की जाने वाली उनके समान होंगी जो संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था में किसी प्रोफेसर के पद के लिए चयन के संबंध में लागू हैं। प्रोफेसर को विचारधारा और कार्यों के बारे में पर्याप्त ज्ञान और कार्य अनुभव होना चाहिए और एक समतावादी समाज निर्माण के संबंध में बाबू जगजीवन राम की विचारधारा और दर्शन का प्रसार करने के लिए प्रमाणित प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जहां तक संभव हो सके, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को बाबू जगजीवन राम पीठ योजना के अंतर्गत प्रोफेसर और अनुसंधान अधिकारी के पद की नियुक्ति के चयन के समय प्राथमिकता दी जाए।

ii) ***अनुसंधान अधिकारी :*** अनुसंधान अधिकारी संबंधित विश्वविद्यालय में व्याख्याता के पद हेतु किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए लागू क्रिया-विधि का अनुपालन करके नियुक्त किया जाएगा। विश्वविद्यालय में व्याख्याता के पद के लिए सेवा संबंधी मामलों में लागू सभी शर्तें और निर्बंधन बाबू जगजीवन राम पीठ के अनुसंधान अधिकारी के पद के लिए भी लागू होंगी। अनुसंधान अधिकारी बाबू जगजीवन राम पीठ प्रोफेसर के पूर्ण निरीक्षण, मार्गदर्शन और प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

iii) ***आशुलिपिक ग्रेड 'ग' तथा चपरासी :*** आशुलिपिक ग्रेड 'ग' तथा चपरासी के पद संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार भरे जाएंगे।

<u>मानीटरिंग</u>

पीठ के कार्य की नियमित मानीटरिंग और आवधिक समीक्षा हेतु, प्रतिष्ठान दो समितियां निम्नवत गठित करेगा :-

(i) कार्य निष्पादन आकलन समिति – नियमित मानीटरिंग के लिए और
(ii) एक समीक्षा-सह-मूल्यांकन समिति - आवधिक मूल्यांकन के लिए।

दोनों समितियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

(क) कार्य निष्पादन आकलन समिति बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की ओर से पीठ द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के ऊपर नियमिति निगरानी रखेगी। यह समय पर सुधारात्मक उपाय करने के मद्देनजर पीठ की समवर्ती समीक्षा करेगी। इसमें तीन सेवानिवृत्त उप-कुलपति अथवा समान शैक्षिक प्रतिष्ठा के व्यक्ति होंगे।

(ख) समीक्षा-सह-मूल्यांकन समिति इसके उद्देश्यों के संदर्भ में पीठ के संपूर्ण कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए गठित की जाएगी। यह तीन-पांच वर्षों के अंतरालों पर गठित की जाएगी तथा इसमें बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष द्वारा

नामित तीन शिक्षाविद् और विद्वानों, यूजीसी का एक नामिती तथा अध्यक्ष बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के एक प्रतिनिधि सहित पांच सदस्य होंगे।

__वार्षिक रिपोर्टें, लेखा-परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र और लेखा-विवरण प्रस्तुत करना__

पीठ प्रत्येक वर्ष समझौता ज्ञापन तथा योजना के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में निष्पादित किए गए कार्यकलापों का उल्लेख करते हुए वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगी। यह वार्षिक रिपोर्ट को प्रतिष्ठान के समक्ष भी इसके द्वारा इसे निर्मुक्त निधियों का उपयोग दर्शाते हुए प्रस्तुत करेगी। पीठ के लेखे और वित्तीय संचालन उसी रीति में लेखा-परीक्षित किए जाएंगे जिसमें विश्वविद्यालय के लेखे किसी वर्ष में एक बार परीक्षित किए जाते हैं और जैसे ही लेखे लेखा-परीक्षित होते हैं प्रतिष्ठान के समक्ष विस्तृत लेखा परीक्षित खाते दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत किया जाएगा ।

विश्वविद्यालय/संस्था/पीठ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी, पीठ के लिए अनुदान की प्रारम्भिक निर्मुक्ति सरल बनाने के लिए अंतरिम दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करे। तथापि, सीएजी/स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (इनके लिए यथा लागू) जैसे ही और जब यह लेखा-परीक्षा संपन्न हो जाती है विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पीठ अनुदान की निर्मुक्ति से पूर्व प्रतिष्ठान के समक्ष आगामी वर्ष के लिए 10 बिन्दु वार्षिक कार्रवाई योजना भी प्रस्तुत करेगी। अनुसंधान परियोजनाएं, संगोष्ठियां/कार्यशालाएं, व्याख्यान, परिचर्चा, प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि के लिए विषय आगामी वित्तीय वर्ष आरंभ होने से पूर्व प्रतिष्ठान के साथ परामर्श से तय किए जाएं।

__पीठ का वित्तपोषण__

इस योजना तथा समझौता ज्ञापन के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट अपने कार्यकलाप निष्पादित करने के लिए पीठ को 35 लाख रुपए प्रति वर्ष की सहायता अनुदान निर्मुक्त की जाएगी। पीठ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान में इस प्रयोजनार्थ सृजित कारपस निधि से अर्जित ब्याज से वित्तपोषित होगी। निधियां प्रत्येक वर्ष अग्रिम में निर्मुक्त की जाएंगी तथा पीठ/विश्वविद्यालय किसी भी स्थिति में इस योजना के अनुबंध में यथा प्रदर्शित पीठ के कार्यों के संचालन के अलावा किसी प्रयोजन हेतु इन निधियों को अन्यत्र विनियोजित नहीं किया जाएगा। पीठ प्रोफेसर की नियुक्ति के तत्काल पश्चात् प्रभावी होगी।

पीठ स्थापित करने के लिए, 2 लाख रुपए का एकबारगी अनुदान कार्यकलापों को आरंभ करने तथा फर्नीचर, कंप्यूटर इत्यादि की खरीद और प्रारंभिक संस्थापन लागत को पूरा करने के लिए निर्मुक्त किया जाएगा। विस्तृत शीर्ष/मदें जिनके अंतर्गत 35 लाख रुपए के वार्षिक अनुदान खर्च किए जाएंगे, इस योजना के अनुबंध में दिए गए हैं। निधियों का उपयोग बशर्ते तथा अन्यथा विशेष परिस्थितियों की स्थिति में प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत निर्धारित सीमा तक प्रतिबंधित होगा।

__योजना का प्रबंधन__

बाबू जगजीवन राम पीठ की स्थापना तथा प्रबंधन की योजना बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रशासित होगी। समय-समय पर प्रतिष्ठान द्वारा जारी दिशा-निर्देश और अनुदेश अंतिम और बाध्यकारी होंगे तथा पीठ के निर्दिष्ट उद्देश्यों को निष्पादित करने में कड़ाई से अनुपालित किए जाने अपेक्षित हैं। पीठ विश्वविद्यालय/विभाग जिसके अंतर्गत यह गठित है, का एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेगी। सभी दैनिक प्रशासनिक और शैक्षिक प्रयोजनों के लिए, प्रोफेसर प्रमुख बाबू जगजीवन राम पीठ उस विश्वविद्यालय के विभाग/सेन्टर के प्रमुख/अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा जिसके अंतर्गत वह स्थापित है। विश्वविद्यालय पीठ के कार्यकलापों के बारे में सलाह देने के लिए विभागाध्यक्ष/सेन्टर के अध्यक्ष के नेतृत्व में संबंधित विभाग/केन्द्र में तीन व्यक्तियों की एक सलाहकार समिति गठित करेगा।

यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

अनुबंध

पीठ द्वारा उन शीर्षों/उप शीर्षों के ब्यौरे जिनके अंतर्गत वार्षिक अनुदान उपयोग किया जाएगा

कुल अनुमानित व्यय 35 लाख रुपए प्रति वर्ष है। 35 लाख रुपए के अनुमानित व्यय के ब्यौरा निम्नवत है :-

क. पीठ के अधीन कार्यरत स्टाफ का वेतन			
क्रम सं.	पद का नाम	वेतनमान	पारितोषिक/अनुदान
1.	प्रोफेसर (पूर्ण कालिक, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के समतुल्य)	37400-67000+ग्रेड पे 10000/- रुपए	25,00,000/- रुपए
2.	अनुसंधान अधिकारी (किसी विश्वविद्यालय के व्याख्याता के समतुल्य रैंक में और वेतनमान)	15600-39100+ग्रेड पे 5400/- रुपए	
3.	आशुलिपिक (ग्रेड 'ग')	9300-34800+ग्रेड पे 4200/- रुपए	
4.	चपरासी	5200-20200+ग्रेड पे 1800/- रुपए	
		कुल	***25,00,000/- रुपए***

ख. पीठ के कार्यकलाप		
1.	अनुसंधान कार्य (दीर्घ/अल्पावधिक)**	2,50,000/- रुपए
2.	विद्यार्थियों के माध्यम से अनुसंधान/एम.फिल/एल.एल.एम./पी.एचडी/ एलएलडी इत्यादि का पर्यवेक्षण	1,00,000/- रुपए
3.	संगोष्ठी/कार्यशाला** इत्यादि का आयोजन	1,50,000/- रुपए
4.	व्याख्याता** (बाबू जगजीवन राम स्मृति व्याख्यान सहित)	1,00,000/- रुपए
5.	पुस्तकों/लेखों/पत्रिकाओं का प्रकाशन	50,000/- रुपए
6.	जागरूकता/विस्तार/प्रशिक्षण कार्यक्रम**	50,000/- रुपए
7.	संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भागीदारी	50,000/- रुपए
8.	पुस्तकों/पत्रिकाओं/स्रोत सामग्री की खरीद	75,000/- रुपए
9.	परिचर्चा/संवाद**	25,000/- रुपए
10.	अंतर-पीठ सहयोगी कार्यक्रम	25,000/- रुपए
11.	फोन/फैक्स/स्टेशनरी	50,000/- रुपए
12.	आकस्मिक व्यय	75,000/- रुपए
	कुल	***10,00,000/- रुपए***
	कुल योग (क+ख)	***35,00,000/- रुपए***

** अनुसंधान परियोजनाओं, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं, व्याख्यानों, परिचर्चाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि के विषय आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिष्ठान के परामर्श से तय किए जाएं।